

**फर्द अहकाम**  
**कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द**


श्री जितेन्द्र सोनी, 113 अपेक्स मॉल, लालकोठी टोंकरोड, जयपुर – अपीलार्थी  
बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा- अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 05/2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><b>दिनांक 03.02.2020</b></p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्त हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांक: प.1( )सू0अ0,05/2020/78-79 दिनांक 24.01.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 21.11.2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 25.11.2019 व अनुभाग को 29.11.2019 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय के एडीएम कार्यालय द्वारा वांछित सूचना के कुल 07 पृष्ठ होने से नियमानुसार 02/- रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से 07 पेजों की कुल राशि 14/- रुपये कार्यालय में जमा कराने हेतु प्रार्थी अपीलार्थी को इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक क्रमांक: प.1( )सू0अ0,05/2019/915 दिनांक 18.12.2019 से सूचित किया गया। इस कार्यालय के पत्र की पालना में प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना की राशि आज दिनांक तक जमा नहीं कराई गई इस कारण से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रार्थी अपीलार्थी नियमानुसार वांछित राशि जमा करा दे तो वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जा सकेगी।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रस्तुत अपील में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना की नियमानुसार वांछित राशि जमा नहीं कराई। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार वांछित राशि जमा कराकर वांछित सूचना प्राप्त करें।</p> <p>उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।</p> <p style="text-align: center;"><b>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</b></p>	

  
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी  
(जिला कलक्टर) राजसमन्द

